

न्यायालय उप जिलाधिकारी सरधाना § मेरठ §

वार सं० 7 धारा 143 ज०वि०अधि०

न्यू ट्यूब्लस रेजुकेशनल सोसायटी

उप सचिव धर्मेन्द्र कुमार बनाम सरकार

ग्राम पौहल्ली परगना दौराला तहसील सरधाना जिला मेरठ ।

निर्णय दिनांक 19/11/08 अथवा 29/12/08

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही अनुसंगत धारा 143 ज०वि०अधि० प्रार्थना पत्र न्यूट्यूब्लस रेजुकेशनल सोसायटी उपसचिव धर्मेन्द्र कुमार के निवासी ईकडी के द्वारा प्रस्तुत करने के आधार पर आरम्भ हुई है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि ग्राम पौहल्ली के गाटा सं० 1569, 1570, 1571, 1572 में वादी सक्मणीय भूमिधार भालिक काबिज अधिकारी है। न्यू ट्यूब्लस रेजुकेशनल सोसायटी मेरठ एक शिक्षण संस्था है। उक्त भूमि आबादी के रूप में प्रयोग हो रही है। उक्त भूमि को आबादी घोषित करने की कृपा करे। उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार से आख्या मंगायी गयी।


तहसीलदार ने अपनी आख्या में कथन किया है कि ग्राम पौहल्ली में स्थित भूमि छाता संख्या 00494 खसरा नम्बर 1569 रकबा 1.0500 हे व गाटा संख्या 1570 रकबा 0.6890 हे व गाटा संख्या 1571 रकबा 0.0850 हे में 1/4 भाग यानि भूमि 0.4560 हे व गाटा संख्या 1572 रकबा 0.5060 हे भूमि में अपने स्वस्त भाग की भूमि 0.0513 हे इस प्रकार कुल भूमि 0.507 हे भूमि में अपने स्वस्त भाग की भूमि 0.0513 हे इस प्रकार कुल भूमि 0.507 हे पर न्यू ट्यूब्लस रेजुकेशनल सोसायटी के द्वारा उप सचिव धर्मेन्द्र पुत्र महावीर सिंह निवासी ईकडी परगना व तहसील सरधाना जिला मेरठ का नाम बतौर सक्मणीय भूमिधार दर्ज है। स्थल पर भूमि का उपयोग आबादी में हो रहा है। 1359 फसली की खतौनी/ बन्दोबस्त में प्रश्नगत भूमि ग्राम समाज की धारा 132 की भूमि नहीं है। वर्णित भूमि का उपयोग पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, अथावा बागवानी में नहीं हो रहा है। प्रस्तावित भूमि सीलिंग पट्टेया पुर्नवास पट्टे की नहीं है। प्रस्तावित भूमि 1359 प० के रिकार्ड मिलान अनुसार सुरक्षित भूमि, सीलिंग भूमि नहीं है। प्रस्तावित भूमि में खूब की बिल्डिंग बनी हुई है। धारा 143 ज०वि०अधि० के नियम 135 के अन्तगत आबादी घोषित करने हेतु आख्या सस्वृति सहित प्रेषित है।

न्यायालय में उभय पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार की आख्या में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि ग्राम समाज की धारा 132 की भूमि नहीं है। सीलिंग भूमि नहीं है। पुर्नवास पट्टे की भूमि नहीं है। पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन या बागवानी की भूमि में उपयोग नहीं हो रहा है। खूब की बिल्डिंग बनी हुई है। ज०वि०अधि० की धारा 143 के नियम 132 के अन्तगत आबादी घोषित करने की सस्वृति की जाती है। अतः तहसीलदार की आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विभालेषण अनुसार तहसीलदार की आख्या स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पौहल्ली के छाता सं० 494 के गाटा सं० 1.0500, 1570/0.6890, 1571/0.0850 का 1/4 भाग यानि भूमि 0.4560 हे, 1572/0.5060 हे में से 0.0513 हे भूमि को गैर कृषि प्रयोजन हेतु घोषित किया जा सकता है। आदेश की प्रति उपनिबन्धक सरधाना को प्रेषित हो। बावद आदेश कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनांक 19-11-08



सतीश शर्मा

उप जिलाधिकारी, सरधाना

आदेश निर्णय/आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर रखा जायेगा।

न्यायालय उप जिलाधिकारी सरधाना मेरठ
धारा 143 जो कि अधिनियम

वाद सं 7

न्यूट्रल पक्ष प्रेजुडेंशियल सोसायटी

उप सचिव धर्मेन्द्र कुमार

बनाम

सरकार

ग्राम पौडली परगना दौरा तहसील सरधाना जिला मेरठ ।

सशोधित ओदेश

वाद उपरोक्त मे वादी छठ धर्मेन्द्र कुमार की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वाद उपरोक्त मे पारित आदेश मे उप-सचिव धर्मेन्द्र कुमार अंकित किया गया है जो गलत लिखा गया है केवल सचिव धर्मेन्द्र कुमार लिखा जाना चाहिये था। अतः उप सचिव को निरस्त कर केवल सचिव अंकित करने का कष्ट करे। वादी ने अपने छठ प्रार्थना पत्र के समर्थन मे बनामे की छाया प्रति भी सलग्न की है। वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करेते हुये आदेश दिनांक 19-11-08 मे यथा सम्भव सशोधित किया जाय है। पक्षकार मे दूसरी पक्ष मे अंकित उप तथा निर्णय की पक्ष मे उप तथा निर्णय की 15 वी पक्ष मे अंकित उप शब्द को निरस्त किया जाय है। तदनुसार सशोधित परवाना अमल दरामद जारी हो। यह आदेश दिनांक 19-11-08 को पारित आदेश का अंग रहेगा। वाद आवश्यक कार्यवाही अत्राकी दाखिल दफतर हो।



दिनांक 29-12-08

उप जिलाधिकारी सरधाना

पत्र आने का दिनांक 29.11.08
मंजूर करने का दिनांक 30.11.08
प्रतिपाल देने का दिनांक 30.11.08
अथवा अन्य मूल्य 1/4 = 20

नकल कर्ता
वसना कर्ता

